

योजना के तहत समग्र में पंजीयन उपरांत चालक/परिचालकों को निम्नानुसार बिन्दुओं पर लाभ दिया जाना प्रस्तावित किया गया है।

1. मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना (वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग की योजनान्तर्गत परिवहन विभाग के माध्यम से बैंको द्वारा)
2. प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना  
(परिवहन विभाग के माध्यम से संबंधित निकाय)
3. दुर्घटना में स्थायी अपंगता की दशा में प्रशिक्षण व पुर्नवास  
(कौशल उन्नयन विभाग)
4. चिकित्सा सहायता  
(लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग)
5. प्रसूति सहायता  
(लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग)
6. छात्रवृत्ति - (शिक्षा विभाग)
7. विवाह सहायता - (सामाजिक न्याय विभाग)
8. मृत्यु की दशा में अनुग्रह सहायता  
(सामाजिक न्याय विभाग)
9. सारथी पुरस्कार - (परिवहन विभाग के माध्यम से राज्य शासन द्वारा)